न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 271/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2023

बउनवान

1.लटूर आयु 60 वर्ष आत्मज सुक्खा जी जाति बैरवा निवासी टोस्या तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. गंगाराम आत्मज मोड्डू जाति बैरवा
2. गोपाल आत्मज मोड्डू जाति बैरवा
3. पांच्या आत्मज मोड्डू जाति बैरवा
4. गोपाली बेवा मोड्डू जाति बैरवा (मृतक) (नाम डिलिट किया गया)
5. ओम प्रकाश आत्मज स्व रामदेव जाति बैरवा निवासीगण टोस्या तह कनवास जिला कोटा
6. बनवारी आत्मज रामकुमार जाति बैरवा
7. सोनू आत्मज रामकुमार जाति बैरवा
8. चाहन्या बाई बेवा स्व रामकुमार जति बैरवा निवासी गण टोस्या तह कनवास जिला कोटा
9. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा
10. बृजमोहन आत्मज बिरधा जाति बैरवा निवासी गण टोस्या तह कनवास जिला कोटा
11. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट रोड टंकी मोहल्ला कनवास
12. दी स्टेट आफ राज0 जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री रेवती रमण जी

दावा विभाजन आराजी व निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 , 188 आरटीएक्ट

संशोधित निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टोस्या पटवार हल्का लोढाहेडा में मुताबिक जमाबन्दी सबूत 2067–2070 में खाता सं 41 में निम्न आराजी स्थित है। नकल जमाबन्दी भी सलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

ग्राम टोस्या	खसरा न	रकबा	किस्म
खाता स 41	87	1.85	चाही दितीय
	88	0.01	गै मु0 चाह
	89	1.85	चाह तृतीय
	90	2.30	चाह तृतीय
	91	0.05	बारानी प्रथम
	92	0.22	चाही तृतीय
	93	0.05	बारानी प्रथम
	94	0.73	चाही तृतीय
	95	0.73	चाही तृतीय
	96	0.04	बारानी प्रथम
	223	0.03	खेडा प्रथम
	245	0.36	तीर प्रथम
	कुल किता 12	रकबा 8.22	

यह कि वादी व प्रतिवादीण का वंशज सजरा निम्न प्रकार है।

रतना

- मोडू
  1. रामदेव (पौत्र)
     - रामकुंवार(पुत्र फौत)
       - बनवारी (पुत्र) (प्रति0 न 6)
       - सोनू(पुत्र) (प्रति0 न 7)
       - चाहन्या बाई (बेवा) (प्रति0 न 8)
     - ओमप्रकाश(पुत्र) (प्रतिवादी न 5)
  2. गंगाराम (पुत्र) (प्रतिवादी न 1)
  3. गोपाल (पुत्र) (प्रतिवादी न 2)
  4. पांच्या (पुत्र) (प्रतिवादी न 3)
  5. गोपाली (बेवा) (प्रतिवादी न 4)
- सुक्खा
  - लटूर (पुत्र) (वादी)
- बिरधा
  1. रामभरोस (पुत्र) (प्रतिवादी न 9)
  2. बृजमोहन (पुत्र) (प्रतिवादी न 10)
  3. गुलाब (बेवा फौत)
  4. प्रेम (पुत्री) (प्रतिवादी न 11)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

उपरोक्त वाद पत्र के पैरा न 1 मे वर्णित आराजी में पैरा न 2 में बताये सजरे अनुसार 1/3 हिस्सा मोडू का 1/3 हिस्सा सुक्खा का तथा 1/3 हिस्सा बिरधा का था मोडू के फौत होने पर उसका 1/3 हिस्सा उसके पुत्र रामदेव, गंगाराम,गोपाल, पांच्या व बेवा गोपाली का नाम दर्ज हुआ जिनमें रामदेव भी फौत हो गया है जिसके वारीसान उसके मृतक पुत्र रामकुंवार के पुत्र बनवारी , सोनू व चाहन्या बाई तथा जिवित पुत्र ओमप्रकाश है जिन्हें प्रतिवादी न0 5, 6, 7, 8, बनाया गया है बिरधा के फौत होने पर उसका 1/3 हिस्सा उसके पुत्र रामभरोस, बृजमोहन पुत्री प्रम तथा बेवा गुलाब का नाम दर्ज हुआ जिनमें गुलाब बेवा फौत हो गई है। इसलिए गुलाब को पक्षकर नही बनाया गया है सुक्खा का 1/3 हिस्सा उसके पुत्र लटूर के नाम दर्ज हुआ लटूर इस मुकदमें में वादी है जिसका सम्पूर्ण आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज है मौके पर वाद पत्र के पैरा न1 में स्थित आराजी एक ही चक के रूप में स्थित है जिसमें सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते हैं परन्तु वादी तथा वादी के पिता शुरू से ही शांती प्रिय रहे है और लडाई झगडा नही चाहते थे जिनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण जो लडाकू व लोभी प्रवृति के है प्रतिवर्ष वादीगण के हिस्सें की व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर लेते है। तथा वादी द्वारा कुछ कहने सुनने पर वादी के साथ गालीगलौच करते हुए मारने पर आमादा होते है और इसी लडाई झगडे के बल पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में वादी को वादी के 1/3 हिस्से में आने वाली 2.74 है0 आराजी को काश्त करने में लडाई झगडा करते है। बाधा उत्पन्न करते है। एसी स्थिति में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने 1/3 हिस्से की भूमि का पृथक खाता दर्ज करावें तथा निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि वादी को प्रतिवादीगण उसके 1/3 हिस्से की आराजी शांति पूर्वक काश्त करने दे वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी का रिकार्ड में दर्ज 1/3 हिस्से की आराजी काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने तथा वादी को वादी के 1/3 हिस्से की पूरी आराजी काश्त नही करने देने तथा खाता पृथक कराकर खाते अनुसार भूमि नापकर अलग–अलग काश्त करने की कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा मना करने व मारपीट झगडा करने पर उतारू होने पर अन्तिम मर्तबा दिनांक 30.04.2013 को उत्पन्न हुआ वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा न 1 में वर्णित आराजी ग्राम टोस्या की ख0न0/हैक्टर 87/1.85, 88/1.01, 89/1.85, 90/2.30, 91/0.05, 92/0.22, 93/0.05 ,94/0.73, 95/0.73, 96/0.04, 223/0.03, 245/0.36, कुल किता की 8.22 हैक्टर आराजी के विभाजन की ड्रिकी पारित फरमाई जाकर वादी के 1/3 हिस्से की आराजी का विभाजन कर पृथक खाता व लगान कायम किया जावे तथा जमीन नापकर संभलाई जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी को उसका 1/3 हिस्सा काश्त करने में प्रतिवादीगण मदाखलत व मजाहमत न करे। न ही एजेन्टों से करावे वादव्यव व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर तलवी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी प्रतिवादी 1 2 3 व 8 की ओर से एडवोकेट रेवती रमण नागर ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी न 5 6 7 9 10 11 बावजूद सूचना अनुपस्थिति रहने से दिनांक 20.12.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई प्रतिवादी न 12 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास उपस्थित हुए लेकिन काफी समय तक भी जवाब सरकार पेश न करने पर दिनांक 03.12.2019 को जवाब सरकार बन्द कर दिया गया प्रतिवादी न 1, 2, 3 व 8 का जवाब लम्बे समय तक पेश न किए जाने पर दिनांक 09.10.2019 को उनका जवाब भी प्रतिवादी बन्द किया गया। प्रतिवादी न0 4 गोपाली फौत होने से उसका नाम वाद पत्र से डिलिट किया गया सशोधित टाईटल पेश हुआ साक्ष्यवादी ली गई साक्ष्यवादी में साक्षी लटूर लाल वादी स्वय का शपथ पत्र पेश किया गया प्रतिवादीगण सभी अनुपस्थित रहने से साक्ष्यवादी की जिरह बन्द की गई वकीलवादी के बहस हेतु निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

करने पर बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपस्थित दस्तावेज प्रदर्श 1 प्रदर्श 2 प्रदर्श 3 का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया गया,तहसीलदार कनवास को विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया तहसीलदार कनवास द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक अपने पत्रांक राजस्व/731 दिनांक 03.02.2023 को पेश किये गये, विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम टोस्या में खाता संख्या 45 व 46 में मुताबिक डिक्री कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है।

वादी :– लदूर पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी टोल्या

खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म
45	91	0.05	बारानी प्रथम
	223 पूर्व	0.01	खेड़ा प्रथम
	245 पूर्व	0.12	तीर प्रथम
46	90	2.30	चाही तृतीय
	89 दक्षिण	0.26	चाही तृतीय
कुल	**5 किता**	**2.74**	

प्रतिवादीगण :–

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 139/1720
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 139/688
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 139/688
8. भूली बाई पत्नि फूलचन्द्र जाति बैरवा निवासी नया नोहरा कोटा हिस्सा 33/172

खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म
46	87	1.85	चाही तृतीय
	89 उत्तर	1.59	चाही तृतीय
कुल	**2 किता**	**3.44 हैक्टेयर**	

प्रतिवादीगण :–

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 1/10

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 1/68
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 1/68
8. बृजमोहन पुत्र बिरधा हिस्सा 8/17

खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म
45	223 पश्चिम	0.02	खेड़ा प्रथम
	245 पश्चिम	0.24	तीर प्रथम
	88	0.01	गै0मु0 चाह
	92	0.22	चा0तृ
	93	0.05	चा0तृ
	94	.0.73	चा0तृ
	95	0.73	चा0तृ
	96	0.04	चा0तृ
कुल	**8 किता**	**2.04 हैक्टेयर**	

मुताबिक राज्सव रेकॉर्ड एवं डिक्री अनुसार वादी लटूर एवं सुक्खा के खाता संख्या 45 व 46 की आराजी में हिस्सा 1/3 की भूमियों का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए, बहस विभाजन प्रस्ताव वादी सुनी गई, उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री जाना न्याय उचित प्रतीत हेाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाता है कि तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी को उपरोक्त वर्णित आराजी में से वादी का 1/3 हिस्सा विभाजन किया जाकर पृथक खाता कायम किया जाकर वादी के हिस्से की आराजी मौके पर नापकर वादी को सभलाई जावें। आराजी वादी के निम्नानुसार पृथक खाते दर्ज की जावे। तथा राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे।

वादी :— लटूर पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी टोल्या

खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म
45	91	0.05	बारानी प्रथम
	223 पूर्व	0.01	खेड़ा प्रथम
	245 पूर्व	0.12	तीर प्रथम
46	90	2.30	चाही तृतीय
	89 दक्षिण	0.26	चाही तृतीय
कुल	**5 किता**	**2.74**	

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादीगण :—

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 139/1720
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 139/688
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 139/688
8. भूली बाई पत्नि फूलचन्द्र जाति बैरवा निवासी नया नोहरा कोटा हिस्सा 33/172

खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म
46	87	1.85	चाही तृतीय
	89 उत्तर	1.59	चाही तृतीय
कुल	**2 किता**	**3.44 हैक्टेयर**	

प्रतिवादीगण :—

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 1/10
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 1/68
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 1/68
8. बृजमोहन पुत्र बिरधा हिस्सा 8/17

खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म
45	223 पश्चिम	0.02	खेड़ा प्रथम
	245 पश्चिम	0.24	तीर प्रथम
	88	0.01	गै0मु0 चाह
	92	0.22	चा0तृ
	93	0.05	चा0तृ
	94	.0.73	चा0तृ
	95	0.73	चा0तृ
	96	0.04	चा0तृ
कुल	**8 किता**	**2.04 हैक्टेयर**	

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

वादी का वाद विभाजन अन्तिम डिकी किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते है कि ग्राम टोस्या पटवार हल्का लोढाहेडा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते मे स्थित आराजी ख0न0/हैक्टर 87/1.85, 88/1.01, 89/1.85, 90/2.30, 91/0.05, 92/0.22, 93/0.05, 94/0.73, 95/0.73, 96/0.04, 223/0.03, 245/0.36, कुल किता 12 की 8.22 हैक्टर आराजी में निहित वादी लटूर पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी टोस्या के 1/3 हिस्से का पृथक खाता व लगान कायम करने के आदेश दिये गये थे। प्रस्ताव विभाजन रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद विभाजन स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि ग्राम टोस्या ग्राम टोस्या पटवार हल्का लोढाहेडा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते मे स्थित आराजी का निम्नानुसार विभाजन कर पृथक खाता लगान कायम किया जावे–

1 वादी लटूर पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी टोल्या के पृथक खाते एवं कब्जे में ग्राम टोस्या की खाता संख्या 45 की खसरा न 91 की 0.05 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 223 की 0.01 हेक्टर पूर्वी तथा खसरा न 245 की 0.12 हैक्टर पूर्वी कुल 3 किता की 0.18 हैक्टर आराजी व खाता संख्या 46 की खसरा न 90 की 2.30 हक्टर आराजी राम्पूर्ण रकबा व खसरा न 89 की 0.26 हैक्टर दक्षिण कुल 2 किता की 2.56 हैक्टर आराजी अर्थात दोनों खाता संख्या 45 व 46 की कुल 5 किता की 2.74 हैक्टर आराजी दर्ज की जावे तथा वादी को उपरोक्त भूमि मौके पर नाप कर कब्जा संभलाने के आदेश दिये जाते है।

2 ग्राम टोस्या की खाता संख्या 45 की खसरा न 223 की 0.02 हैक्टर पश्चिम व खसरा नम्बर 245 की 0.24 हैक्टर पश्चिम, खसरा नम्बर 88 की 0.01 हैक्टर खसरा न 92 की 0.22 हैक्टर खसरा न 93 की 0.05 हैक्टर, खसरा न 94 की 0.73 है0, खसरा न 95 की 0.73 हैक्टर, खसरा न0 96 की 0.04 हैक्टर कुल 8 किता की 2.04 हैक्टर आराजी निम्नानुसार प्रतिवादी के संयुक्त खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 1/10
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 1/68
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 1/68
8. बृजमोहन पुत्र बिरधा हिस्सा 8/17

3 ग्राम टोस्या की खाता संख्या 46 की खसरा नं 87 की 1.85 हैक्टर खसरा न 89 की 1.59 हैक्टर उत्तर कुल 2 किता की 3.44 हैक्टर निम्नानुसार प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 139/1720
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 139/688
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 139/688
8. भूली बाई पत्नि फूलचन्द्र जाति बैरवा निवासी नया नोहरा कोटा हिस्सा 33/172

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अतः मौके पर वादी लटूर के हिस्से में आयी 1/3 हिससे की आराजी को नाप कर वादी को सभलाने के आदेश दिये जाते है। तथा आदेश दिये जाते है। कि वादी के 1/3 हिस्से जो उसे विभाजन मे जो उसके पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये है पर काश्त करने मे प्रतिवादीगण मदाखलत मजाहमत न करे तथा वादी के हिस्से मे आई आरजी पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मौके पर रास्ता न हो तो तहसीलदार कनवास नियमानुसार रास्ता भी कायम किया जाना सुनश्चित करें।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 के लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

दिव्यराज सिह चूण्डावत (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
कनवास जिला कोटा (राज०)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री दिव्यराज सिह चूण्डावत **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या 271/2014 दावा निर्णय दिनांक 15.06.2023

बउनवान

1. लटूर आयु 60 वर्ष आत्मज सुक्खा जी जाति बैरवा निवासी टोस्या तहसील कनवास जिला कोटा।

वादी

बनाम

1.गंगाराम आत्मज मोड़ू जाति बैरवा
2. गोपाल आत्मज मोड़ू जाति बैरवा
3.पांच्या आत्मज मोड़ू जाति बैरवा
4. गोपाली बेवा मोड़ू जाति बैरवा (मृतक) (नाम डिलिट किया गया)
5.ओम प्रकाश आत्मज स्व रामदेव जाति बैरवा निवासीगण टोस्या तह कनवास जिला कोटा
6.बनवारी आत्मज रामकुमार जाति बैरवा
7.सोनू आत्मज रामकुमार जाति बैरवा
8.चाहन्या बाई बेवा स्व रामकुमार जति बैरवा निवासी गण टोस्या तह कनवास जिला कोटा
9.रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा
10.बृजमोहन आत्मज बिरधा जाति बैरवा निवासी गण टोस्या तह कनवास जिला कोटा
11प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट रोड टंकी मोहल्ला कनवास
12.दी स्टेट आफ राज0 जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री रेवती रमण नागर ।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **271/2014** सन **2014** तारीख फैसला **15.06.2023** **न्यायालय ब इजलास श्री दिव्यराज सिह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई **व प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर तथा राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है **वादी का वाद विभाजन अन्तिम डिकी किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते है कि ग्राम टोस्या पटवार हल्का लोढाहेडा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते मे स्थित आराजी ख0न0/हैक्टर 87/1.85, 88/1.01, 89/1.85, 90/2.30, 91/0.05, 92/0.22, 93/0.05, 94/0.73, 95/0.73, 96/0.04, 223/0.03, 245/0.36, कुल किता 12 की 8.22 हैक्टर आराजी में निहित वादी लटूर पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी टोस्या के 1/3 हिस्से का पृथक खाता व लगान कायम करने के आदेश दिये गये थे। प्रस्ताव विभाजन रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद विभाजन स्वीकार कर अंतिम डिकी किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि ग्राम टोस्या ग्राम टोस्या पटवार हल्का लोढाहेडा मे वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते मे स्थित आराजी का निम्नानुसार विभाजन कर पृथक खाता लगान कायम किया जावे–**

1 वादी लटूर पुत्र सुक्खा जाति बैरवा निवासी टोल्या के पृथक खाते एवं कब्जे में ग्राम टोस्या की खाता संख्या 45 की खसरा न 91 की 0.05 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 223 की 0.01 हेक्टर पूर्वी तथा खसरा न 245 की 0.12 हैक्टर पूर्वी कुल 3 किता की 0.18 हैक्टर आराजी व खाता संख्या 46 की खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

न 90 की 2.30 हक्टर आराजी सम्पूर्ण रकबा व खसरा न 89 की 0.26 हैक्टर दक्षिण कुल 2 किता की 2.56 हैक्टर आराजी अर्थात दोनों खाता संख्या 45 व 46 की कुल 5 किता की 2.74 हैक्टर आराजी दर्ज की जावे तथा वादी को उपरोक्त भूमि मौके पर नाप कर कब्जा संभलाने के आदेश दिये जाते है।

2 ग्राम टोस्या की खाता संख्या 45 की खसरा न 223 की 0.02 हैक्टर पश्चिम व खसरा नम्बर 245 की 0.24 हैक्टर पश्चिम, खसरा नम्बर 88 की 0.01 हैक्टर खसरा न 92 की 0.22 हैक्टर खसरा न 93 की 0.05 हैक्टर, खसरा न 94 की 0.73 है0, खसरा न 95 की 0.73 हैक्टर, खसरा न0 96 की 0.04 हैक्टर कुल 8 किता की 2.04 हैक्टर आराजी निम्नानुसार प्रतिवादी के संयुक्त खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 1/10
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 1/10
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 1/68
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 1/68
8. बृजमोहन पुत्र बिरधा हिस्सा 8/17

3 ग्राम टोस्या की खाता संख्या 46 की खसरा नं 87 की 1.85 हैक्टर खसरा न 89 की 1.59 हैक्टर उत्तर कुल 2 किता की 3.44 हैक्टर निम्नानुसार प्रतिवादीगण के सयुक्त खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. गंगाराम आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
2. गोपाल आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
3. गोपाली बेवा मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
4. पांच्या आत्मज मोडू जाति बैरवा हिस्सा 139/1720
5. रामदेव पुत्र बिरधा हिस्सा 139/1720
6. रामभरोस आत्मज बिरधा जाति बैरवा हिस्सा 139/688
7. प्रेम आत्मज बिरधा पत्नि छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट हिस्सा 139/688
8. भूली बाई पत्नि फूलचन्द्र जाति बैरवा निवासी नया नोहरा कोटा हिस्सा 33/172

मौके पर वादी लटूर द्वारा उसके खाते में आयी लटूर के 1/3 हिस्से की आराजी को नाप कर वादी को सभलाने के आदेश दिये जाते है। तथा आदेश दिये जाते है कि वादी के 1/3 हिस्से जो उसे विभाजन मे जो उसके पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये है पर काश्त करने मे प्रतिवादीगण मदाखलत मजाहमत न करे तथा वादी के हिस्से मे आई आरजी पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मौके पर रास्ता न हो तो तहसीलदार कनवास नियमानुसार रास्ता भी कायम किया जाना सुनश्चित करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.06.2023 को जारी की गई।

मोहर ....

दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
	....	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	....	---------NIL---------	
अर्जीदावा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
वकालतनामा	....			महनताना वकील	....		
वजह सबूत	....			खर्चा गवाहान	....		
ताना वकील	....			फीस कमिश्नर	....		
र्चा गवाहान	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
स कमिश्नर	....			मुतफर्रिक	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मीजान	....		
मुतफर्रिक							
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

दिव्यराज सिह चूण्डावत (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)